

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में लेखाकार के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षा विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं.एबी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में लेखाकार के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।



(अजय कुमार केपी)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली

दिनांक: अगस्त, 2017

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण
1.	पद का नाम	लेखाकार	लेखाकार	
2.	पदों की सं.	2	2* (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	
3.	वर्गीकरण	श्रेणी-III अनुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 12011/4/90-एनएमसी/पीएमएस (पीएच), दिनांक 05.08.1991 के अनुसार वर्तमान प्रविष्टी - सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-III पद अराजपत्रित अनुसचिवीय को सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय से प्रतिस्थापित किया जाएगा उक्त-पत्र की प्रति पृष्ठ-15/पत्राचार पर है।
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	130-5-160-3- 200-ईबी-8- 256-ईबी-8- 280-10-300 (दूसरा के.वे.आ.) -330-10-380- ईबी-12-500- ईबी-15-560 (तीसरा के.वे.आ.) रु.1200-30- 1560- ईबी-40-		

		2040 (चौथा के.वे.आ) (रु. 4000-100-6000) (पांचवा के.वे.आ.) रु. 5200-20200 जीपी रु. 2400 (छठा के.वे.आ.)		
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद		अचयन	
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	25 वर्ष और कम	लागू नहीं	
7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	लागू नहीं	लागू नहीं	
8.	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	लागू नहीं	लागू नहीं	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	कोई परिवीक्षा नहीं	
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती- शून्य चयन द्वारा- 100% प्रोन्नति द्वारा, वरिष्ठता एवं उपयुक्तता-शून्य, स्थानांतरण-शून्य		
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	निम्न श्रेणी लिपिक, या स्टोरकीपर, या कैशियर, जो ग्रेड में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा रखते हैं।	ग्रेड में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा रखने वाले निम्न श्रेणी लिपिकों में से।	सीआईपी, रांची में नि.श्रे.लि. के 16 पद हैं। कैशियर और स्टोरकीपर के पद अब जीपी रु. 2400 में हैं।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में	प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद के

			निम्नलिखित शामिल हैं: संस्थान के निदेशक- अध्यक्ष, चिकित्सा अधिकारी- सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य	लिए डीपीसी अनिवार्य है।
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।		लागू नहीं।	